

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना-15, दिनांक 18 दिसम्बर, 2023

संख्या: 1/सी0-1017/2022-सा0प्र0-²²⁸⁴⁵...../डॉ० (श्रीमती) आशिमा जैन, भा0प्र0से0 (बी एच : 2008), विशेष सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-लेवल-14-₹1,44,200 -2,18,200/-) में दिनांक 01.01.2024 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

संख्या: 1/सी0-1017/2022-सा0प्र0-²²⁸⁴⁶...../श्री बी. कार्तिकेय धनजी, भा0प्र0से0 (बी एच : 2008), राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-लेवल-14-₹1,44,200-2,18,200/-) में दिनांक 01.01.2024 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

संख्या: 1/सी0-1017/2022-सा0प्र0-²²⁸⁴⁷...../श्री प्रणव कुमार, भा0प्र0से0 (बी एच : 2008), समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर) को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-लेवल-14-₹1,44,200 -2,18,200/-) में दिनांक 01.01.2024 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

संख्या: 1/सी0-1017/2022-सा0प्र0-²²⁸⁴⁸...../श्री गिरिवर दयाल सिंह, भा0प्र0से0 (बी एच : 2008), ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-लेवल-14-₹1,44,200-2,18,200/-) में दिनांक 01.01.2024 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

संख्या: 1/सी0-1017/2022-सा0प्र0-²²⁸⁴⁹...../श्रीमती नीलम चौधरी, भा0प्र0से0 (बी एच : 2008), निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, बिहार, पटना को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-लेवल-14-₹1,44,200 -2,18,200/-) में दिनांक 01.01.2024 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।



संख्या: 1/सी0-1017/2022-सा0प्र0-²²⁸⁵⁰...../श्री सुरेश चौधरी, भा0प्र0से0 (बी एच : 2008), बंदोबस्त पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-लेवल-14-₹1,44,200-2,18,200/-) में दिनांक 01.01.2024 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

संख्या: 1/सी0-1017/2022-सा0प्र0-²²⁸⁵¹...../श्री संजय दूबे, भा0प्र0से0 (बी एच : 2008), विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, पटना)को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (सचिव ग्रेड-लेवल-14-₹1,44,200-2,18,200/-) में दिनांक 01.01.2024 या उसके बाद की पदग्रहण की तिथि से प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

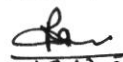
2. डॉ0 (श्रीमती) आशिमा जैन एवं श्री बी.कार्तिकेय धनजी द्वारा अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-IV पूर्ण नहीं किया गया है। फलतः, उन्हें इस शर्त के साथ सचिव स्तर में प्रोन्नति प्रदान की गयी है कि आगामी सत्र में स्थान मिलने पर आलोच्य प्रशिक्षण अवश्य पूरा कर लेंगे।

3. श्रीमती नीलम चौधरी (सेवानिवृत्ति की तिथि-31.07.2024), श्री सुरेश चौधरी (सेवानिवृत्ति की तिथि-31.05.2024) एवं श्री संजय दूबे (सेवानिवृत्ति की तिथि-31.12.2024) की शेष सेवावधियां तीन वर्ष से कम रहने के कारण भा0प्र0से0 (वेतन) नियमावली, 2016 के नियम-3(2) (iii) के अंतिम परन्तुक के अनुरूप उनके लिए अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण- IV की पूर्णता अपेक्षित नहीं है।

4. शेष पदाधिकारियों द्वारा अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-IV पूरा कर लिया गया है।

5. आलोच्य सभी अधिसूचनाएं दिनांक 01.01.2024 अथवा उसके बाद की प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रभावी होंगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(रचनी पाटिल)

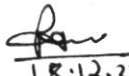
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक: 1/सी0-1017/2022-सा0प्र0-²²⁸⁵¹...../पटना-15, दिनांक: 18 दिसम्बर, 2023
प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा - आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/सचिव, कार्मिक एवं

प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नयी दिल्ली/संस्थापन पदाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी/संबंधित विभाग/संबंधित कार्यालय/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के आप्त सचिव, बिहार, पटना /मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/अवर सचिव(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा-1 एवं प्रशाखा-6) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. जिन पदाधिकारियों को सशर्त प्रोन्नति दी गयी है, वे सभी प्रशिक्षण पूर्णता का प्रमाण संबंधित प्राधिकारों को समय पर उपलब्ध करा देंगे ।
3. प्रोन्नत पदाधिकारी एफ आर 22(1)(ए)(2) के निम्नांकित प्रावधान के तहत आवश्यकतानुसार विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं:—

"Under FR 22(1)(a)(2) also there is a provision that on appointment on regular basis to such new post, other than to an ex-cadre post on deputation, the Government servant shall have the option, to be exercised within one month from the date of such appointment, for fixation of his pay in the new post with effect from the date of increment in the old post."


18.12.23
सरकार के विशेष सचिव